न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 47 / 2022

1. कमलेश कुमार पुत्र लक्ष्मणराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. महेश कुमार पुत्र लक्ष्मणराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मणराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार;राजस्वद्ध पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53 घोषणा एवं खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता ———**वादीगण**
2. श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता ——**प्रतिवादी सं. 1**
3. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ——**प्रतिवादी सं. 2**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09/02/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वाद के पक्षकारो का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है ।

वादीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है जो परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है ।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 5 एलकेएस–बी के खाता सं. 51 के प.नं. 10/284, 11/284 की कुल 4.137 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. रास्ता मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की श्रम व मेहनत से अर्जित कर वादीगण के दादा श्री रामप्रताप के नाम से [illegible] रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाई और संयुक्त परिवार की कृषि भूमि होने के कारण दादा श्री रामप्रताप ने अपने ही जीवनकाल मे वादग्रस्त कृषि भूमि घरू बंटवारा मे प्रतिवादी सं. 1 [illegible] नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाई इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा [illegible]त हो चुका है अर्सा समय पूर्व वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत अनुसार घरा घरू बंटवारा हुआ और घरा घरू बंटवारा मे वादीगण को निम्न कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:25 IST
Reason: SelfAttested

09.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्राप्त हुई :–

क. वादी सं. 1 कमलेश कुमार को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि

चक	प.नं.	किला	तादादी
5 एलकेएस–बी	11/284	2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1/.114 उत्तरी दिशा, 6/2/.0125 7/.1265 उत्तरी दिशा	1.101 हैक.

ख. वादी सं. 2 महेश कुमार को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि

चक	प.नं.	किला	तादादी
5 एलकेएस–बी	11/284	6/1/.114, दक्षिणी दिशा 6/2/.0125 7/1/.1265 दक्षिणी, 8, 13, 14, 15/1, 15/2	1.265 हैक.

शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई ।

वादीगण का कब्जा वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा क–ख मे वर्णितानुसार कृषि भूमि का कब्जा घरू बंटवारा के समय से चला आ रहा है और वर्तमान भी वादीगण ने उक्तानुसार ही फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के नाम वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा क–ख मे वर्णित रकबा की घोषणा करवाने एवं आपसी खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है जो कि घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने की डिक्री पारित की जावे ।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को कई बार कहा कि वे वादीगण का वादग्रस्त रकबा मे वादीगण का पैतृक हक व हिस्सा मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करवा दे तो कुछ दिन तो प्रतिवादी सं. 1 टालमटोल करते रहे लेकिन आज से 10 दिवस पूर्व प्रतिवादी सं. 1 ने साफ इन्कार कर दिया जो कि वाद कारण है ।

प्रतिवादी सं. 2 भूधारक है इसलिये उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है

वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत व अन्दर मियाद है ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

घोषित किया जावे वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा क–ख मे वर्णित रकबा अनुसार वादीगण खातेदार खातेदार काश्तकार है ।

मुताबिक अनुतोष "क" वादीगण की कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से खाता तकसीम किया जावे ।

खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:25 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो

09.02.2022

चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर. आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर. डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि का वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

क. वादी सं. 1 कमलेश कुमार

चक	प.नं.	किला	तादादी
5 एलकेएस–बी	11/284	2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/[illegible].014 उत्तरी दिशा, 6/2/.0125 7/.1265 उत्तरी दिशा	1.101 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:25 IST
Reason: SelfAttested

09.02.2022

ख. वादी सं. 2 महेश कुमार

चक	प.नं.	किला	तादादी
5 एलकेएस–बी	11/284	6/1/.114, दक्षिणी दिशा 6/2/.0125 7/1/.1265 दक्षिणी, 8, 13, 14, 15/1, 15/2	1.265 हैक.

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि कोई वाद विवाद, रहन एवं स्थगन न हो तो अमल दरामद करे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

09.02.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:25 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 47 / 2022

1. कमलेश कुमार पुत्र लक्ष्मणराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. महेश कुमार पुत्र लक्ष्मणराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मणराम पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार;राजस्वद्ध पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 09/02/2022

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 09/02/2022 को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि का वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

क. वादी सं. 1 कमलेश कुमार

चक	प.नं.	किला	तादादी
5 एलकेएस–बी	11 / 284	2 / 2, 3, 4, 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1 / .114 उत्तरी दिशा, 6 / 2 / .0125 7 / .1265 उत्तरी दिशा	1.101 हैक.

ख. वादी सं. 2 महेश कुमार

चक	प.नं.	किला	तादादी
5 एलकेएस–बी	11 / 284	6 / 1 / .114, दक्षिणी दिशा 6 / 2 / .0125 7 / 1 / .1265 दक्षिणी, 8, 13, 14, 15 / 1, 15 / 2	1.265 हैक.

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित [illegible] है कि [illegible] वर्णित [illegible] किसी अन्य न्यायालय का स्थगन, रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रि[illegible] किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली [illegible] हो।

आदेश आज दिंनाक 09/02/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:25 IST
Reason: SelfAttested

09.02.2022

(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवम्

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा